रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] नई दिल्ली, शुक्रवार,, जुलाई 27, 2018/श्रावण 5, 1940
No. 253] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2018/SHRAVANA 5, 1940

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

विषय: केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के भीतर काम करने के निमित्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में गाइड के लिए नीति (संशोधन संबंधित)

फा. सं. 29/01/2017-एम (भाग).—केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के भीतर मौद्रिक प्रयोजनों के लिए काम करने के निमित्त, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के नियम 8(घ) के तहत आवश्यक लाइसेंस को विनियमित और प्रशासित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस विषय पर नीति तैयार की गई है, जिसे भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1 में दिनांक 31.01.2017 को अधिसूचित किया गया। (तत्पश्चात इसे मुख्य नीति कहा जाएगा)

अब उक्त मुख्य नीति में और अधिक संशोधन के लिए निम्नलिखित बदलाव किए जा रहे हैं:

1. मुख्य नीति के खंड 2.1 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

   "2.1 अब से गाइड का दो स्तरीय वर्गीकरण होगा, यथा- स्मारक विशिष्ट गाइड और स्मारक समूह विशिष्ट गाइड । ये गाइड भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित/प्रशासित/प्रबंधित उन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों में कार्य करने के लिए प्राधिकृत होंगे जिनके लिए उसे लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह नीति उन्ही गाइड्स पर लागू होगी जिनके लाइसेंस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किये या सत्यापित किये गए हो।"

2. मुख्य नीति के खंड 2.2 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

   "2.2 प्रत्येक स्मारक अथवा स्मारक समूह के लिए गाइड्स की संख्या का आंकलन पर्यटकों की संख्या, संवृध्दि की संभावना, स्मारकों/स्मारकों के समूह का विस्तार और आकार के आधार पर निर्धारित होगा। यह प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से प्रत्येक पांच में दोहराई जाएगी।"

3. मुख्य नीति के खंड 2.5 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

   "2.5 यह नीति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुसरण करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा फतेहपुर सीकरी में कार्य कर रहे गाइडों को दिए गए सभी लाइसेंस को स्वीकार करती है और इस नीति के

अंतर्गत माने जाने है। बशर्ते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परामर्श से आईआईटीटीएम के माध्यम से आयोजित परीक्षा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को अधिकतम तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे।

अपर महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय (भारत सरकार) क्षेत्रीय स्तर के गाइड को लाइसेंस देना जारी रख सकते हैं।

अपर महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी सभी गाइड लाइसेंस को इस नीति के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी बशर्ते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परामर्श से आईआईटीटीएम के माध्यम से आयोजित परीक्षा के साथ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा । पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को अधिकतम तीन अवसर प्रदान किए जाएगे बशर्ते उस स्मारक अथवा स्मारक समूह के लिए विनिर्दिष्ट गाइड्स की संख्या के अनुसार ही आवश्यकता हो । परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात क्षेत्रीय स्तर के गाइड लाइसेंस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवश्यक पृष्ठांकन किया जाएगा।"

4. मुख्य नीति के खंड 2.8 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"2.8 प्रभाव में आने की तारीख: यह नीति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित होने की तारीख से प्रभावी होगी।"

5. मुख्य नीति के खंड 3.1 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"3.1 नए अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता: निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता अनुशंसित है :

(क) आवश्यक अर्हता

(i) किसी भी विषय में स्नातक डिग्री

(ख) वांछनीय अर्हता

(i) पर्यटन अथवा होटल मैनेजमेंट में डिग्री,

(ii) किसी भी ऐतिहासिक स्मारक में गाइड करने का पर्याप्त अनुभव,

(iii) एक अथवा अधिक भाषाओं में धारा प्रवाह,

(iv) अंग्रेजी के साथ अन्य विदेशी भाषाओं का ज्ञान.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हित और योग्यता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के अनुभव के आधार पर किसी मामले में शैक्षिक अर्हताओं में छूट प्रदान कर सकता है।"

6. मुख्य नीति के खंड 3.2 के उप-खंड (ख) को निम्नलिखित उप-खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"(ख) 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारक अथवा स्मारक समूह गाइड का लाइसेंस स्वस्थता जांच और संबंधित गाइड के स्वास्थ को प्रमाणित करती हुए रिपोर्ट से आधार पर नवीकरण किया जाएगा।"

7. मुख्य नीति के खंड 3.4 के उप खंड (ग) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"(ग) निम्नलिखित दस्तावेज में से किसी एक को अधिवासिता के लिए दस्तावेजी प्रमाण के रूप में अनुशंसित किया जाता है :

(i) सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार के स्तर से नीचे का नहीं) द्वारा आवासीय प्रमाण का प्रमाणपत्र

(ii) पासपोर्ट

(iii) मतदाता पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड

(iv) राशन कार्ड"

8. मुख्य नीति के खंड 5 (खंड शीर्षक) के लिए निम्नलिखित खंड (खंड शीर्षक) प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"5. नए अभ्यर्थियों हेतु लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा"

9. मुख्य नीति के खंड 5.2 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"5.2 आई आई टी टी एम, ग्वालियर के परामर्श से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सामान्य जागरूकता के साथ इतिहास, वास्तुकला और स्मारकों के महत्व पर अभ्यर्थियों के ज्ञान को आंकलन करने हेतु लिखित परीक्षा कराएगा।"

10. मुख्य नीति के खंड 5.4 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा -
"5.4 आई आई टी टी एम, ग्वालियर के परामर्श से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लिखित और मौखिक परीक्षा कराएगा।"

11. मुख्य नीति के खंड 6 (खंड शीर्ष) को निम्नलिखित खंड (खंड शीर्ष) से प्रतिस्थापित किया जाएगा -
"6. नए अभ्यर्थी का प्रशिक्षण"

12. मुख्य नीति के खंड 6.1 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा -
"6.1 लिखित और मौखिक परीक्षा में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को आइआईटीटीएम, ग्वालियर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।"

13. मुख्य नीति के खंड 9 (खंड शीर्ष) को निम्नलिखित खंड (खंड शीर्ष) से प्रतिस्थापित किया जाएगा -
"9. लाइसेंस का नवीकरण और पुन: सत्यापन"

14. मुख्य नीति के खंड 9.2 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा -
"9.2 लाइसेंस का नवीकरण और पुन: सत्यापन स्वत: नहीं होगा। लाइसेंस का नवीकरण आवेदनकर्ता गाइड के साक्षात्कार के बाद किया जाएगा। साक्षात्कार का उद्देश्य संबंधित गाइड द्वारा समय के साथ-साथ संबंधित स्मारक के बारे में अपनी सूचना/ज्ञान को अद्यतन कर लिया है अथवा नहीं का आंकलन करना है। नवीकरण के समय पर ऐसा आवेदनकर्ता, जो अपने लाइसेंस का नवीकरण कराना चाहता है, के विरूद्ध यदि कोई शिकायत हो तो उस पर विचार किया जाएगा। नवीकरण और पुन: सत्यापन को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।"

15. मुख्य नीति के खंड 12.1 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा -
"लाइसेंस अथवा पहचान पत्र जो भी है की प्रतिरूप के लिए, आवेदनकर्ता इस उद्देश्यार्थ इसकी चोरी या खोने के लिए पुलिस शिकायत/एफआईआर की प्रति के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यथा निर्धारित फार्मेट में आवेदन करेगा।"

राकेश सिंह लाल, अपर महानिदेशक

पाद टिप्पणी: मुख्य नीति सबसे पहले 31.01.2017 को भारत के राजपत्र असाधारण में भाग I खंड 1 में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2018

Subject: The Policy for Archaeological Survey of India Guides to perform within Centrally Protected Monuments (amendment regarding)

F.No. 29/01/2017-M (Pt.).—To regulate and administer licences required under Rule 8(d) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 for guides to perform within centrally protected monument for monetary consideration, the Archaeological Survey of India formulates Policy on the subject and notified on 31.01.2017 in the Gazette of India Part I Section 1. (hereinafter referred to as the principal Policy)

Now, further to amend the said Principal Policy, additions and changes are made as under.

1. For clause 2.1 of the principal Policy, following clause shall be substituted:-

"2.1 That from now onwards there shall be two-type of guides, viz., Monument Specific Guides

and Group of Monument Specific Guides who would be authorized to work in the centrally protected monuments & sites maintained/administered/managed by the Archaeological Survey of India for which he is licenced. The policy shall be applicable only to such guides whose licence are validated or granted by ASI."

2. For clause 2.2 of the principal Policy, following clause shall be substituted:-

"2.2 The assessment of number of tourist guides for each monument or group of monuments would be determined by the footfall, growth potential, extent and size of the monuments/group of monuments. The process would be done every five years by the Archaeological Survey of India in consultant with Ministry of Tourism."

3. For clause 2.5 of the principal Policy, following clause shall be substituted:-

"2.5 This Policy shall acknowledge all licences given to guides working at Fatehpur Sikri, by the Archaeological Survey of India pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court of India and shall be deemed to have been given under this Policy, subject to refresher course followed by test conducted by IITTM in consultation with ASI. Each candidate shall be given maximum three attempts to clear the refresher course with test.

Additional Director General, Ministry of Tourism (GOI) may continue to issue license to the Regional Level Guide. All guide licences issued by the Additional Director General, Ministry of Tourism (GOI) shall also be acknowledged under this policy subject to refresher course followed by test conducted through IITTM in consultation with ASI. Each candidate shall be give maximum three attempts to clear the refresher course with test provided there is requirement considering number of guides specified for that monument or group of monuments. After qualifying the test, necessary endorsement shall be made by ASI on the Regional Level Guide License."

4. For clause 2.8 of the principal Policy, following clause shall be substituted:-

"2.8 Date of Effect: The Policy shall come into the force from the date on which it is formally notified by the ASI."

5. For clause 3.1 of the principal Policy, following clause shall be substituted:-

"3.1 Educational Qualification for fresh candidates: Following qualification is recommended.

A. Essential Qualification

(i) Bachelor Degree in any discipline

B. Desirable Qualification

(i) Degree in Tourism or Hotel Management.

(ii) Sufficient experience in guiding at any historic monuments.

(iii) Fluency in one or more languages

(iv) Knowledge of foreign languages in addition to English.

The Archaeological Survey of India may in the interest and expediency exempt or relax the educational qualifications taking into consideration the experience possessed by a candidate/s in the given case."

6. For sub-clause (b) of the clause 3.2 of the principal Policy, the following clause shall be substituted:-

"(b) The licence of an ASI monument guide or group of monuments guide, who has attained 60 years of age, shall thereafter, be renewed subject to medical fitness test and a report certifying the fitness of the concerned guide."

7. For sub-clause (c) of the clause 3.4 of the principal Policy, the following clause shall be substituted:-
"(c) One of the following document is recommended as documentary proof for Domicile:-

(i) Certificate of proof of residence by the competent authority (not below the rank of Tehsildar)
(ii) Passport
(iii) Voter Identity card or Aadhar Card
(iv) Ration Card."

8. For clause 5 (clause heading) of the principal Policy, following clause (clause heading) shall be substituted:-
"5. Writeen Test and Viva Voce for fresh candidates."

9. For clause 5.2 of the principal Policy, following clause shall be substituted:-
"5.2 Archaeological Survey of India in consultation with IITTM, Gwalior shall formulate written test for fresh candidates with a view to test the knowledge of candidate on history, architecture and significance of monuments in addition to general awareness."

10. For clause 5.4 of the principal Policy, following clause shall be substituted:-
"5.4 Archaeological Survey of India in consultation with IITTM, Gwalior shall take written test and Viva voce."

11. For clause 6 (clause heading) of the principal Policy, following clause (clause heading) shall be substituted:-
"6. Training for fresh candidate"

12. For clause 6.1 of the principal Policy, following clause shall be substituted.

"6.1 All candidates found successful after written test and viva voce shall be given training by IITTM, Gwalior."

13. For clause 9 (clause heading) of the principal Policy, following clause (clause heading) shall be substituted:-
"9. Renewal and Revalidation of licence:"

14. For clause 9.2 of the principal Policy, following clause shall be substituted:-
"9.2 The renewal and Revalidation of licence shall not be automatic. A licence shall be renewed after an interview of the applicant guide. The interview shall aim to test whether the concerned guide has updated his information/knowledge about the concerned monument or not in keeping with passage of time. Pending complaints, if any, against that applicant who intends to renew his licence shall be taken into account at the time of renewal. Renewal and Revalidation cannot be claimed as a matter of right."

15. For clause 12.1 of the principal Policy, following clause shall be substituted:-
"12.1 For Duplicate licence or ID card, as the case may be, the candidate shall make an application to the Archaeological Survey of India for the purpose in the format as specified by the ASI alongwith copy of police complaint / FIR on its theft or loss."

RAKESH SINGH LAL, Addl. Director General

Foot Note : The Principal Policy was first published on 31.01.2017 in the Gazette of India Extraordinary, in Part I Section1.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.08.02 20:19:17 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.